न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **51/2024** दायर दिनांक **01.03.2024**

वादी

1. हाफिज खॉ पुत्र हनीफ खॉ जाति कायमखानी निवासी निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला डीडवाना (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल रहमान खॉ पुत्र भंवरू खॉ (खातेदार– फौत)
   1/1. उस्मान खॉ पुत्र अब्दुल रहमान खॉ,
   1/2. आरीफ खॉ पुत्र अब्दुल रहमान खॉ,
   1/3. नेंक बानों पत्नी अब्दुल रहमान खॉ,
   1/4 रेशमा बानों पुत्री अब्दुल रहमान खॉ,
2. असगर खॉ पुत्र अलाब्दी खॉ,
3. इलायची बानों पत्नी भंवरू खॉ,
4. गुलशन बानों पुत्री हनीफ खॉ,
5. जैतून बानों पत्नी हनीफ खॉ,
6. मोबिना बानों पुत्री हनीफ खॉ,
7. सफी खॉ पुत्र साजत खॉ,
8. शोकत खॉ पुत्र अलाब्दी खॉ,
9. मकबूल अलीखान पुत्र हनीफ खॉ,
10. अयूब खॉ पुत्र हिदायत खॉ,
11. असलम खॉ पुत्र रमजान खॉ,
12. गफुर खान पुत्र रसूल खान,
13. गुलशेर खॉ पुत्र हिदायत खॉ,
14. जाकिर खॉ पुत्र युसूफ खॉ,
15. नूर मोहम्मद खॉ पुत्र गुमान खॉ,
16. मनवर बानू पत्नी रणजीत खॉ,
17. मुस्कान पुत्री रमजान खॉ,
18. मुस्ताक अली खॉ पुत्र गुमान खॉ,
19. मेहर बानों पुत्री रणजीत खॉ,
20. मो. इमरान खान पुत्र रणजीत खॉ,
21. युनूस खान पुत्र रमजान खॉ,
22. यासमीन बानों पत्नी उस्मान खॉ,
23. रूकिया बानो पुत्री रणजीत खॉ,
24. शरीफ खॉ पुत्र नियामत खॉ,
25. सबीना पुत्री रणजीत खॉ,
26. हबीब खां पुत्र नियामत खॉ,
    समस्त निवासीगण निम्बी कलां, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना (राज.)
27. तहसीलदार, डीडवाना जरिये भूमिधारी राज्य सरकार।
28. मदीना बानो पत्नी इमरान खान
29. किस्मत बानो पत्नी मुंशी खान

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:07:28 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा.का.अ.

उपस्थित:–

1. श्री ईस्लामुद्दीन वकील वादी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 12.01.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद मौजा निम्बी कला के खेत खसरा संख्या 395 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनॉक **14.07.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/482 दिनॉक 09.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/482 दिनॉक 09.09.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :—

—:: आदेश ::—

सरहद सरहद मौजा निम्बी कलां के खेत खसरा संख्या 395 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्यघोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/482 दिनॉक 09.09.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/482 दिनॉक 09.09.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **12.01.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:07:28 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना